F.2.14.3AE.BUD.SAMA.18

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्र.प. 3/III-A/निर्वा/सामा–2018/ 1530 जयपुर, दिनांक 26-04-2022

प्रेषक :— मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति :— समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय :— आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2022–23 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— वित्त विभाग के परिपत्र सं. प.4(48)वित्त–1(1)आ.व्यय/2021 दिनांक 29.03.22 एवं प.4(1)वित्त–1(1)आ.व्य/2022 दिनांक 31.03.2022 तथा विभागीय समसंख्यक पत्रांक 1218 दिनांक 31.03.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के सन्दर्भित परिपत्रों के क्रम में आपको निर्देशित किया गया था कि दिनांक 01.04.2022 से एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत सुगम समेकित (Consolidated) Pool बजट प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। जिसके माध्यम से बजट नियन्त्रण अधिकारी के अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा बिल बनाने पर बिल की राशि समेकित Pool में से आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सिस्टम पर स्वतः उपलब्ध हो जायेगी अतः बजट नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन/पुनर्वितरण की आवश्यकता नहीं होगी। अतः Pool बजट के अन्तर्गत होने वाले संवेतन, मजदूरी, पेंशन, यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, जल/विद्युत/टेलीफोन बिल एवं किराया दर तथा रॉयल्टी के अतिरिक्त **अन्य सभी विस्तृत मद** (Detailed/Object Head) में मुख्यालय द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करने हेतु विभागीय समसंख्यक पत्रांक 1218 दिनांक 31.03.2022 लिखा गया था किन्तु आमतौर पर यह देखा गया है कि जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा संवेतन, मजदूरी, पेंशन, यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, जल/विद्युत/टेलीफोन बिल एवं किराया दर तथा रॉयल्टी मद के अतिरिक्त **अन्य सभी विस्तृत मदों** (Detailed/Object Head) से सम्बन्धित बिल बिना प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्धित कोष कार्यालय को भिजवाये जा रहे है जो कि मुख्यालय द्वारा प्रदत निर्देशों की अवहेलना का द्योतक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि संवेतन, मजदूरी, पेंशन, यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, जल/विद्युत/टेलीफोन बिल एवं किराया दर तथा रॉयल्टी के अतिरिक्त **अन्य सभी विस्तृत मदों** (Detailed/Object Head) से सम्बन्धित बिल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के उपरान्त ही सम्बन्धित कोष कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही उक्त के सम्बन्ध में आपके अधीनस्थ निर्वाचक/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO/AERO) को पाबन्द करें।

26/4/22
(कृष्ण कुणाल)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

क्र.प. 3/III-A/निर्वा/सामा/2018 **जयपुर, दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी (मुख्यालय), निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार ही बिल पारित किये जावें।
5. समस्त निर्वाचक/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO/AERO), राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार ही बिल संबंधित कोष कार्यालय को भिजवाये जावें।

वित्तीय सलाहकार
निर्वाचन विभाग
राजस्थान जयपुर।